



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/02/2023-24/162

दिनांक 21 फरवरी, 2025

ट्यूटर (नर्सिंग) परीक्षा- 2023

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अन्तर्गत ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/02/2023-24/936, दिनांक: 20 नवम्बर, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 27 अक्टूबर 2024 (रविवार) को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा ट्यूटर (नर्सिंग) के रिक्त 31 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/02/2023-24/96, दिनांक 01 फरवरी 2025 द्वारा जारी किया गया।

उक्त परीक्षा में सामान्य (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (ST) के अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है।

लिखित परीक्षा में सामान्य (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में 87.75 अंक अथवा 87.75 से अधिक अंक प्राप्त किये हो तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (ST) के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में 68.25 अंक अथवा 68.25 से अधिक अंक प्राप्त किये हो, को अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून में अनुक्रमांकानुसार दिनांक 05 मार्च 2025 (बुधवार) को प्रातः 10.00 आमंत्रित किया जाता है:-

8024021003	8024021009	8024021030	8024021078	8024021151	8024021176	8024021193	8024021202
8024021225	8024021228	8024021232	8024021234	8024021261	8024021293	8024021326	8024021368
8024021420	8024021463	8024021511	8024021518	8024021528	8024021561	8024021607	8024021662
8024021675	8024021687	8024021721	8024021790	8024021791	8024021838	8024021877	8024021890
8024021988	8024021994	8024022001	8024022048	8024022085	8024022096	8024022275	8024022284
8024022353	8024022395	8024022492	8024022511				

नोट:

1. अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जारी की जायेगी।
2. अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगे:-

- I. औपबन्धिक प्रवेश पत्र – 01 प्रति (अनिवार्य)
- II. ट्यूटर (नर्सिंग) पद हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र – 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- III. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (अनिवार्य)
- IV. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- V. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- VI. इण्टरमिडिएट अंक पत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
- VII. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
- VIII. B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing प्रत्येक वर्ष/सैमेस्टर के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- IX. डिग्री प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- X. M.Sc. Nursing प्रत्येक वर्ष/सैमेस्टर के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)
- XI. M.Sc. Nursing प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)
- XII. नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र , जो कि ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- XIII. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XIV. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)– 02 स्वप्रमाणित प्रति
- XV. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVI. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVII. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVIII. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XIX. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XX. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XXI. अनुभव प्रमाण पत्र (अनिवार्य)

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग-अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग-अलग सैट क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है। अंतिम परीक्षा परिणाम लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों एवं अनुभव के अंकों के कुल योग के आधार पर तथा अभिलेख सत्यापन के उपरान्त जारी किया जायेगा।

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव